न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 07/2021

जीसीएमएस नम्बर : 2021/12

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
मोहनलाल पुत्र चुन्नीलाल जाति सरगरा, निवासी इन्दरवाड़ा तहसील रानी जिला पाली		1. गणपतलाल पुत्र मंगलाराम जाति सरगरा, निवासी सोमेसर, तहसील रानी 2. सरपंच, ग्राम पंचायत भारदलाउ, पंचायत समिति रानी, जिला पाली।

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994"

उपस्थिति –

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मांगीलाल प्रजापत।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री नरेश प्रजापत।

–: निर्णय :–

दिनांक : 25/11/2024

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत भादरलाउ द्वारा मिसल संख्या 59/2019–20 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 गणपतलाल पुत्र मंगलाराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 09 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम भादरलाउ के आबादी क्षेत्र में ग्राम पंचायत द्वारा देवीचन्द्र पुत्र बाबुलाल जाति जैन निवासी जवाली के पक्ष में मिसल संख्या 58/1976–77 दिनांक 07.12.1979 की पालना में पट्टा संख्या 7 जारी किया गया, जिसका आम मुख्तियार श्रीमती मिश्रीदेवी पत्नी मोहनलाल जाति सरगरा निवासी इन्दरवाड़ा के पक्ष में किया गया तथा आम मुख्तियारकर्ता ने दिनांक 17.09.2020 को जैर पट्टा सुदा आराजी का बेचान प्रार्थी के पक्ष में कर दिया, जिसका कब्जा प्रार्थी ने प्राप्त कर उस पर निर्माण कार्य शुरू करवाया। अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 से मिलावट कर बाले बाले ही जैर आराजी का विधिविरूद्ध तरीके से पट्टा बनावा लिया। अप्रार्थी संख्या 1 का जैर आराजी पर न तो कब्जा या रहवास है और न ही कोई मकान बना हुआ है उसके उपरान्त भी नियम 157(1) के तहत जैर निगरानी पट्टा जारी किया। इस सम्बन्ध में एक फौजदारी मुकदमा भी दर्ज करवाया हुआ है। अप्रार्थी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत के समक्ष न तो नियमानुसार आवेदन किया, न ही आवेदन शुल्क जमा करवायी, न ही मिसल दर्ज की गयी अर्थात् ग्राम पंचायत ने बिना कोई कार्यवाही किये जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया जो पूर्णतया विधिविरूद्ध होने से जैर निगरानी पट्टे को खारिज फरमावे।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि जैर आराजी पट्टा जारी किये जाने में ग्राम पंचायत द्वारा विधिक तथ्यों की भूल हुई है तथा प्रकरण में ग्राम पंचायत पूर्व में जारी पट्टे सुदा आराजी का ही दूसरा जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया, जो नियमानुसार नहीं है। जिसके सम्बन्ध में सेशन न्यायालय, देसूरी में एक फौजदारी मुकदमा भी विचाराधीन है। अतः यदि जैर निगरानी पट्टे को खारिज किया जाता है तो अप्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत भादरलाउ द्वारा मिसल संख्या 59/2019–20 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 गणपतलाल पुत्र मंगलाराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 09 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि जैर निगरानी पट्टा, पूर्व में जारी पट्टासुदा आराजी पर ही जारी किया हुआ है। इन तथ्यों की पुष्टि के सम्बन्ध में अधिवक्ता अप्रार्थी ने भी, अधिवक्ता प्रार्थी के कथनों का समर्थन किया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 1998 DNJ 560 अनुसार – पंचायत ने प्रार्थी को 1963 में आबादी क्षेत्र में एक भूखण्ड आंवटित किया – पंचायत ने अप्रार्थी सं. 5 को भूखण्ड विक्रय किया और विक्रय की पुष्टि की – विधि अनुसार प्रार्थी का पट्टा निरस्त नहीं किया – पंचायत ने पट्टा निरस्त करने की अधिकारिता न होने से आधार पर आवंटन बहाल रखा – जब तक निरस्त न किया जाये आवंटन प्रभाव में रहता है – अप्रार्थी संख्या 5 के पश्चातवर्ती विक्रय बिना अधिकारिता के है, याचिका निरस्तारित की एवं साथ ही न्यायिक दृष्टान्त 2010 (3) DNJ 1147, 2018 (1) DNJ 111, 2010 (2) RLW (RJ) page 968 भी अधिवक्ता प्रार्थी के कथनों का समर्थन करते है। इसी प्रकार AIR 1998 Raj Page 282 श्रीमती सरोज बनाम ग्राम पंचायत व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "पूर्व में जारी पट्टे के अस्तित्व में रहते उसी भूमि पर दुसरा पट्टा जारी नहीं किया जा सकता हैं।" जिससे सुस्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने नियमों से परे जाकर जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

इसके अतिरिक्त यह भी पाया कि जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी किया गया है। जहां तक ग्राम पंचायत को पट्टे जारी करने की अधिकारिता का प्रश्न है, तो यह सुस्पष्ट है कि ग्राम पंचायत आबादी भूमि में ही पट्टे जारी करने की अधिकारिता रखती है, आबादी के अतिरिक्त अन्य भूमि पर ग्राम पंचायत पट्टे जारी किये जाने हेतु अधिकृत नहीं है। हस्तगत प्रकरण में पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 140 से 157 में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया है। ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी द्वारा पट्टा जारी करवाने हेतु जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया वह कब प्रस्तुत किया गया, के सम्बन्ध में किसी भी दिनांक का अंकन नहीं है। आदेशिका दिनांक 20.09.2019, जो कि प्रथम आदेशिका थी, उसमें सचिव को पत्रावली कायम कर नक्शा तैयार करने एवं तीन पंचों को मौका निरीक्षण

अति. जिला कलेक्टर, पाली

किये जाने के आदेश जारी किये गये, किन्तु किन तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया जायेगा, उन्हे नामित नहीं किया गया। आवेदक द्वारा नियम 145(2) के तहत स्थल निरीक्षण के व्ययों के पेटे पच्चीस रूपये की राशि जमा करवाये जाने थे, जो नहीं करवाये गये। नियम 145(3) के तहत सचिव, आवेदक की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण करने के पश्चात् स्थल नक्शा तैयार करेगा, परन्तु हस्तगत प्रकरण में सचिव द्वारा प्रस्तावित भूमि का नक्शा ही तैयार नहीं किया गया, जो जैर निगरानी पट्टे की सत्यता पर प्रश्नचिह्न अंकित करता है।

इसके पश्चात मनोनीत तीन पंच नियम 146(3) के तहत "क से ड" के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते, किन्तु इस प्रकरण में उपरोक्त वर्णित प्रावधानों को दूषित करते हुए मनमर्जी की प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्यवाही की गई, जो पट्टा जारी किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगाती है। हस्तगत प्रकरण में कब्जा सत्यापन हेतु गवाहों के बयान नहीं लिये गये, साथ ही पंचों द्वारा जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, उसमें भी मूलभूत तथ्यों का अभाव है। प्रकरण में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, उस पर न तो जारी करने की दिनांक अंकित है, न ही ग्राम पंचायत की गोल मोहर तथा उक्त नोटिस के सहजदृश्य स्थान पर चस्पानगी के सम्बन्ध में भी गवाहों के हस्ताक्षर नहीं है, इसके अतिरिक्त नोटिस के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त हुई अथवा नहीं ? यदि आपत्ति प्राप्त हुई, तो उक्त आपत्ति का क्या निस्तारण किया गया ? यह कहीं भी स्पष्ट नहीं हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किये जाने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 145 से 157 में विहित प्रावधानों का पालना नहीं किया है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई है, जो काबिल खारिज योग्य है।

जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित मिसल का अवलोकन करने पर यह तथ्य भी प्रकट होता है कि सम्पूर्ण मिसल कम्प्यूटर टाईप है, जिसमें केवल प्रार्थी की जानकारी हस्तलिखित है तथा किसी भी मिसल पर ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति का नाम अंकित ही नहीं है, साथ ही मिसल के संलग्न कुछ आज्ञाओं पर न तो प्रस्ताव संख्या का अंकन है और न ही बैठक दिनांक का। आदेशिका अनुसार मिसल में निर्णय पारित हो चुका था, जिसमें निर्णय दिनांक का अंकन नहीं है, उसके उपरान्त भी मिसल में दिनांक 02.10.2019 को पुनः निर्णय पारित कर दिया गया, जिसके सम्बन्ध में ग्राम पंचायत का कोई प्रस्ताव अथवा कारण अंकित नहीं है, जो जैर निगरानी पट्टे में अपनाई गयी प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न अंकित करता है। साथ ही ग्राम पंचायत से प्राप्त बैठक कार्यवाही रजिस्टर का अवलोकन करने पर पाते है कि आदेशिका दिनांक 20.09.2019, में हस्तगत मिसल का अंकन ही नहीं है एवं रजिस्टर अनुसार दिनांक 25.09.2019 को ग्राम पंचायत की कोई बैठक ही नहीं हुई उसके उपरान्त भी प्रकरण में ग्राम पंचायत ने आदेशिका दिनांक 25.09.2019 के द्वारा आपत्ती इश्तिहार जारी करने का आदेश पारित किया तथा बैठक दिनांक 02.10.2019 के अनुसार जैर निगरानी पट्टा रियायती दर पर जारी किये जाने का निर्णय पारित किया गया परन्तु मिसल की आज्ञासूची अनुसार उक्त पट्टा निःशुल्क जारी किये जाने के आदेश दिये गये, जो अपने आप में ही विरोधाभाषी है। ग्राम पंचायत से प्राप्त रेकर्ड यथा मिसल, बैठक कार्यवाही रजिस्टर एवं पट्टा

अति. जिला कलेक्टर, पाली

बुक के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी को अनूचित लाभ पहुंचाने की नियत से जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किये जाने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 145 से 157 में विहित प्रावधानों का पालना नहीं की है। इसलिये जैर निगरानी पट्टे को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत भादरलाउ द्वारा मिसल संख्या 59/2019–20 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 गणपतलाल पुत्र मंगलाराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 09 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ ग्राम पंचायत का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 25/11/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली